श्रेणी	चालू रजिस्टर पर दर्ज संख्या (लाखों में)
1. मैट्रिक से कम (अशिक्षित व्यक्तियों सहित)	136.29
2. शिक्षित (मैट्रिक तथा इससे ऊपर)	191.47
3. कुल (1 + 2)	327.76
4. उपर्युक्त योग में अकुशल तथा अर्ध कुशल व्यक्ति शामिल हैं	11.83
5. उपर्युक्त योग में अकुशल कर्मकार शामिल हैं	49.31

(ख) से (ङ) नई औद्योगिक नीति में कर्मकारों की छंटनी करने की कोई परिकल्पना नहीं की गयी है । आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के अनुसार, किये जा रहे संरचनात्मक सुधारों से योजना के आरम्भ के एक या दो वर्षों के दौरान रोजगार की गति धीमी हो सकती है ।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर बहुत अधिक जोर दिया गया है । यह योजना उन सैक्टरों, उप-सैक्टरों तथा क्षेत्रों के त्वरित विकास से जुड़े आर्थिक विकास की उच्च दर की आवश्यकता पर जोर देती है जिनमें रोजगार सृजन की गति में वृद्धि करने के लिए संबंधित अधिक रोजगार अवसरों की संभावना है । भौगोलिक रूप से फसल-वार विविधीकृत कृषि संबंधी विकास, पड़ती भूमि विकास तथा बागिकी ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र तथा ग्रामीण अवसंरचना का विकास, लघु तथा विकेन्द्रीकृत विनिर्माण का अपेक्षाकृत अधिक तेजी से विकास तथा आवासीय विस्तार, आठवीं योजना में परिकल्पित रोजगार उन्मुख विकास नीति के मूल तत्व हैं ।

कर्मकारों के पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा आधुनिकीकरण, औद्योगिक पुनर्संरचना आदि के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाली श्रमिकों की आवश्यकताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र की व्यवस्था करने के उद्देश्य से संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार सृजन योजनाओं के लिए धन राशि उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है ।

रेलवे गोदामों में लदान श्रमिकों का शोषण

2473. **श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रेलवे के विभिन्न माल गोदामों में माल लादने/उतारने के काम में लगे दिहाड़ी के मजदूरों का उनके ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में रेलवे के पल्लेदारों/मजदूरों की यूनियन से कोई मांग-पत्र मिला है;

(ग) क्या सरकार ने इन मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा बुनियादी सुविधाएं दिलाये जाने के लिए कोई प्रयास किया है;

(घ) क्या ऐसे ठेका-मजदूरों के लिए कोई श्रमिक कानून बनाये गये हैं, और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Target for eradication of Child labour

2474. SHRI IQBAL SINGH :
SHRI SURESH PACHOURI:
Will the Minister of LABOUR be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a three years target has been fixed for realising the goal to eradicate child labour in the country;

(b) if so, what are the States and Union Territories that will be covered under this scheme; and

(c) what is the extent to which the child labour will be freed under this scheme ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P A. SANGMA) : (a) and (b) Information has been furnished to the Sabha on August 9, 1993 vide reply to part (a) of Rajya Sabha Unstarred question No. 1822.

(c) The number of Child Labourin the identified 10 States/UTs as per 1981 census is 153367.

Refund of PF. dues on closure of companies

2475. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Gede Iron and Steel Ltd. and Magadh Spun Pipe Limited, P. O. Hirodin, District H. bag, Bihar have not yet paid back PF money due to its workers till date;

(b) whether it is also a fact that these companies declared closure ten years ago; and

(c) if so, what steps Government are taking